भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 591
दिनांक 28 नवम्बर, 2024

कच्चे तेल की वैश्विक कीमत

†591. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2009 से अब तक कच्चे तेल की वैश्विक कीमत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2009 से पेट्रोल, डीजल और गैस पर लगाए गए और संग्रहीत कर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2009 से गैस सिलेंडरों पर प्रदान की गई राजसहायता की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) वर्ष 2014 से राज्य-वार कितने लाभार्थियों को राजसहायताप्राप्त गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती है।

केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है, जो उपभोक्ताओं को पूर्णतः प्रदान करने सहित सरकार और पीएसयूज ओएमसीज द्वारा किए गए विभिन्न उपोयों के परिणामस्वरुप घरेलू पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य क्रमश: 110.04 रुपए प्रति लीटर और 98.42 रुपए प्रति लीटर से घटकर नवंबर 2021 में 94.77 रुपए प्रति लीटर और 87.67 रुपए प्रति लीटर हो गए (दिनांक 18.11.2024 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली में मूल्य)। कतिपय राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुँचाने के निमित्त राज्य वैट की दरों को कम कर दिया था। मार्च, 2024 में ओएमसीज ने भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी।

सरकार ने आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अप्रत्याशित कर, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल है।

वर्तमान में पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इससे राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी के रुप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट (पीओएल) डिपो से दूर, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के अंतर को भी कम कर दिया है।

भारत अपनी घरेलू एलपीजी खपत के लगभग 60% का आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्यों से जुड़े हुए हैं। सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य को घटाती-बढ़ाती रहती है।

पहल योजना के तहत, घरेलू एलपीजी सिलिंडर गैर-राजसहायता प्राप्त मूल्य पर बेचे जाते हैं और लागू राजसहायता उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी जाती है। उपभोक्ताओं को बैंक खातों में सीधे राजसहायता के अलावा, ओएमसीज को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया गया है, ताकि उच्च अन्तरराष्ट्रीय एलपीजी मूल्यों का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर न डालने के कारण उन्हें हुई अल्प वसूली की भरपाई की जा सके।

दिनांक 21 मई, 2022, से सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए एक वर्ष में 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने दिनांक 30 अगस्त, 2023 से प्रति 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर पर 200 रूपए तक घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में कटौती की है। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के सभी लाभार्थियों के लिए निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर कर दी है। सरकार ने फिर दिनांक 9 मार्च, 2024 से प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर पर 100 रूपए तक घरेलू एलपीजी की आरएसपी में कटौती की है।

वर्तमान में दिल्ली में घरेलू एलपीजी का आरएसपी 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। 300 रुपए प्रति सिलेण्डर (तथा 5 किलोग्राम सिलेण्डर के लिए समानुपातिक रूप से यथानिर्धारित) की निर्धारित राजसहायता के साथ, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रति 14.2 किलोग्राम के सिलेण्डर की मौजूदा प्रभावी लागत 503 रुपए (दिल्ली में) है।

वर्ष 2009-10 से कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के वार्षिक औसत मूल्य निम्नवत हैः

वित्त वर्ष	**कच्चे तेल की औसत भारतीय बास्केट (यूएसडी/बैरल)**
2009-10	69.76
2010-11	85.09
2011-12	111.89
2012-13	107.97
2013-14	105.52

2014-15	84.16
2015-16	46.17
2016-17	47.56
2017-18	56.43
2018-19	69.88
2019-20	60.47
2020-21	44.82
2021-22	79.18
2022-23	93.15
2023-24	82.58
2024-25 (दिनांक 21.11.2024 तक)	80.14

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर लगाए गए कर के ब्यौरे निम्नवत हैः-

एलपीजीः एलपीजी पर लागू सीमा शुल्क और जीएसटी की दरों के ब्यौरे निम्नवत हैः

विवरण		**जीएसटी**	**सीमा शुल्क**
एलपीजी	घरेलू*	5%	शून्य
	गैर-घरेलू	18%	5%

* ओएमसीज द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बेची गई घरेलू एलपीजी के आयात हेतु बुनियादी सीमा शुल्क शून्य है। घरेलू एलपीजी के अन्य आयातकर्ताओं के लिए बुनियादी सीमा शुल्क की दर 5% है।

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पेट्रोल और डीजलः

दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर वैट के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक - 1** में दिए गए हैं।

वर्ष 2009-10 से राजकोष को पेट्रोलियम क्षेत्र के योगदान के ब्यौरे निम्नवत हैः

(करोड रुपए में)

वित्त वर्ष	**केंद्रीय राजकोष को कुल योगदान**	**राज्य राजकोष को कुल योगदान**	**पेट्रोलियम क्षेत्र का राजकोष को कुल योगदान**
2009-10	1,11,779	72,082	1,83,861

2010-11	1,36,497	88,997	2,25,494
2011-12	1,39,165	1,19,977	2,59,142
2012-13	1,42,626	1,36,035	2,78,661
2013-14	1,52,900	1,52,460	3,05,360
2014-15	1,72,065	1,60,554	3,32,620
2015-16	2,54,297	1,60,209	4,14,506
2016-17	3,35,175	1,89,770	5,24,945
2017-18	3,36,163	2,06,863	5,43,026
2018-19	3,48,041	2,27,591	5,75,632
2019-20	3,34,315	2,21,056	5,55,370
2020-21	4,55,069	2,17,650	6,72,719
2021-22	4,92,303	2,82,122	7,74,425
2022-23	4,28,067	3,20,651	7,48,718
2023-24	4,32,394	3,18,762	7,51,156
2024-25 (अप्रैल-जून, 2024) (पी)	79,192	76,774	1,55,966

उपर्युक्त 15 प्रमुख ऑयल और गैस कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को दिए गए आकड़ों पर आधारित है। कंपनियों द्वारा पीपीएसी को रिपोर्ट की गई धनराशि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सभी कर/उप-कर/शुल्क/जीएसटी आदि की समेकित धनराशि है। (पी)- अनंतिम

वर्ष 2009-10 से घरेलू एलपीजी पर राजसहायता के ब्यौरे निम्नवत हैः

वित्त वर्ष	**राजसहायता^ (करोड रुपए में)**
2009-10	16087
2010-11	23763
2011-12	32152
2012-13	41565
2013-14	52290
2014-15	40569
2015-16	22029
2016-17	18337
2017-18	23464
2018-19	37209

2019-20	24172
2020-21	11896#
2021-22	1811
2022-23	6965@
2023-24	11444

नोट: इसमें घरेलू एलपीजी में तेल कंपनियों को दी जाने वाली वित्तीय राजसहायता और अल्प- वसूली शामिल है।

^इसमें मई, 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत दिए गए कनेक्शनों पर हुआ व्यय शामिल है।

इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज राजसहायता शामिल है।

@ इसके अलावा, सरकार ने घरेलू एलपीजी की बिक्री पर अल्प- वसूली के लिए ओएमसीज को 22000 करोड़ रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया।

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

अप्रैल, 2015 से डीबीटीएल के तहत घरेलू एलपीजी के नकद हस्तांतरण अनुपालन (सीटीसी) उपभोक्ताओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक –I

"कच्चे तेल की वैश्विक कीमत" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर वैट/बिक्री कर के ब्यौरे

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पेट्रोल	डीजल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1%	1%
आंध्र प्रदेश	31% वैट + 4 रु. /लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट	22.25% वैट + 4 रु./लीटर वैट + 1 रु./लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट
अरुणाचल प्रदेश	14.50%	7.00%
असम	24.77% या 18.80 रु.प्रति लीटर जो भी अधिक हो	22.19% या 14.60 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो 14.60 रु. प्रति लीटर न्यूनतम के कर के अधीन 1.50 रु.प्रति लीटर की छूट
बिहार	23.58% या 16.65 रु. /लीटर जो भी अधिक हो (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)	16.37% या 12.33 रु. /लीटर जो भी अधिक हो (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार)
चंडीगढ़	10 रु./केएल उप कर+15.24% या 12.42 रु./लीटर जो भी अधिक हो	10 रु./केएल उप कर+6.66% या 5.07 रु. /लीटर जो भी अधिक हो
छत्तीसगढ	24% वैट + 2 रु./ लीटर वैट	23% वैट + 1 रु./लीटर वैट
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12.75% वैट	13.50% वैट
दिल्ली	19.40% वैट	रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट
गोवा	21.5% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर	17.5% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर
गुजरात	13.7% वैट + टाउन रेट पर 4% उप कर और वैट	14.9% वैट + टाउन रेट पर 4% उप कर और वैट
हरियाणा	18.20% या 14.50 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर	16.00% वैट या 11.86 रु. / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर
हिमाचल प्रदेश	17.5% या 13.50रु. / लीटर - जो भी अधिक हो	13.90% या 10.40 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो
जम्मू एवं कश्मीर	24% एमएसटी + 2 रु. / लीटर रोजगार उप कर, 4.50 रु. / लीटर की छूट	16% एमएसटी + 1.00 रु./लीटर रोजगार उप कर, 6.50 रु. /लीटर की छूट
झारखंड	बिक्री मूल्य पर 22% या 17.00 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर	बिक्री मूल्य पर 22% या 12.50 रु. प्रति लीटर, जो भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर
कर्नाटक	29.84% बिक्री कर	18.44% बिक्री कर
केरल	30.08% बिक्री कर + 1 रु. / लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर, सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु. प्रति लीटर	22.76% बिक्री कर + 1रु./ लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर सामाजिक सुरक्षा उप-कर 2 रु प्रति लीटर
लद्दाख	15%एमएसटी+ 5 रु./लीटर रोजगार उप कर, 2.5 रु./लीटर की कमी	6% एमएसटी+ 1 रु./लीटर रोजगार उप कर, 0.50 रु. /लीटर की कमी
लक्षद्वीप	10% वैट	10% वैट
मध्य प्रदेश	29% वैट + 2.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर	19% वैट + 1.5 रु./ लीटर वैट + 1% उप कर

महाराष्ट्र	25% वैट + 5.12 रु. / लीटर अतिरिक्त कर	21% वैट
मणिपुर	25% वैट	13.5% वैट
मेघालय	13.50% या 13.50 रु./लीटर- जो भी अधिक हो (0.10 रु./लीटर प्रदूषण अधिभार)	5% या 9.50 रु. /लीटर - जो भी अधिक हो (0.10 रु. /लीटर प्रदुषण अधिभार)
मिजोरम	18% सामाजिक बुनियादी ढांचा और 2000 रु./केएल सेवा उपकर, 2000 रु./केएल रखरखाव उपकर	10% सामाजिक बुनियादी ढांचा और 2000 रु./केएल सेवा उप कर, 2000 रु./केएल रखरखाव उप कर
नगालैंड	21.75% वैट या 16.94 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो	17.20% वैट या 12.83 रु. / लीटर – जो भी अधिक हो
ओडिशा	28% वैट	24% वैट
पुडुचेरी	14.55% वैट	8.65% वैट
पंजाब	2050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क)+16.58% वैट + 10% अतिरिक्त कर या 14.93रु. /लीटर, जो भी अधिक हो	1050 रु./केएल (उप कर) + 0.10 रु.प्रति लीटर (शहरी परिवहन निधि)+0.25 प्रति लीटर (विशेष अवसंरचना विकास शुल्क)+13.1% वैट + 10% अतिरिक्त कर या 10.94 रु. /लीटर, जो भी अधिक हो
राजस्थान	29.04 % वैट + 1500 रु./ केएल सड़क विकास उप कर	17.30 % वैट + 1750 रु. / केएल सड़क विकास उप कर
सिक्किम	20% वैट + 4000 रु./ केएल उप कर	10% वैट + 3500 रु./ केएल उप कर
तमिलनाडु	13% + 11.52 रु.प्रति लीटर	11% + 9.62 रु.प्रति लीटर
तेलंगाना	35.20% वैट	27% वैट
त्रिपुरा	17.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर	10.00% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर
उत्तर प्रदेश	19.36% या 14.85 रु./ लीटर जो भी अधिक हो	17.08% या 10.41 रु./ लीटर जो भी अधिक हो
उत्तराखंड	16.97% या 13.14 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो	17.15% या 10.41 रु. प्रति लीटर जो भी अधिक हो
पश्चिम बंगाल	25% या 13.12 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर – छूट (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 20% अतिरिक्त कर)	17% या 7.70 रु./ लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक हो + 1000 रु./ केएल उप कर (अप्रतिलभ्य कर के रूप में वैट पर 20% अतिरिक्त कर)

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

अनुलग्नक- II

"कच्चे तेल की वैश्विक कीमत" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

घरेलू एलपीजी के नकद अंतरण अनुपालन (सीटीसी) लाभार्थी (लाख में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दिनांक 01.04.15 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.16 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.17 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.18 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.19 की स्थिति के अनुसार
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.45	0.59	0.59	0.69	0.79
आंध्र प्रदेश	82.53	100.06	108.96	122.21	126.56
अरुणाचल प्रदेश	1.26	1.58	1.06	1.43	1.89
असम	21.02	27.47	30.95	44.27	62
बिहार	45.29	62.37	84.98	120.86	157.74
चंडीगढ़	2.16	2.41	2.4	2.47	2.49
छत्तीसगढ	12.93	17.7	28.11	37.64	45.61
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.99	1.13	1.09	1.31	1.38
दिल्ली	31.78	37.77	36.91	39.05	40.89
गोवा	3.66	3.85	3.85	4.01	4.13
गुजरात	50.91	60.41	63.01	74.18	90.46
हरियाणा	34.95	42.82	47.6	53.66	60.8
हिमाचल प्रदेश	10.21	11.92	12.56	13.61	15.36
जम्मू और कश्मीर	10.19	13.9	17.74	20.83	28.1
झारखंड	12.8	17.12	22.38	31.03	49.24
कर्नाटक	79.83	96.72	97.12	115.24	140.81
केरल	64.41	70.84	72.25	75.35	79.69
लद्दाख	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0.03	0.04	0.04	0.05	0.07
मध्य प्रदेश	50.38	64.04	83.46	99.61	134.11
महाराष्ट्र	149.51	176.48	183.6	207.15	239.2
मणिपुर	1.68	2.87	2.79	3.66	4.8
मेघालय	1.04	1.22	1.34	1.78	2.87
मिजोरम	0.98	1.89	1.38	1.8	2.24
नगालैंड	0.92	1.28	0.85	1.16	1.71
ओडिशा	20.38	30.2	37.66	54.56	75.93
पुडुचेरी	2.88	3.09	3.18	3.32	3.48
पंजाब	47.14	56.57	61.5	66.61	76.97
राजस्थान	62.63	81.44	93.22	109.96	144.02
सिक्किम	0.86	1.05	1.05	1.13	1.26
तमिलनाडु	131.1	153.36	147.54	166.95	192.88
तेलंगाना	60.66	75.51	80.31	85.69	98.05
त्रिपुरा	2.89	3.9	4.17	4.9	6.85
उत्तर प्रदेश	137.41	186.92	227.9	271.5	352.47
उत्तराखंड	13.89	17.47	16.64	19.29	22.52
पश्चिम बंगाल	79.33	104.27	124.91	163.65	200.15

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दिनांक 01.04.20 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.21की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.22 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.23 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 01.04.24 की स्थिति के अनुसार
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.92	0.98	1.02	0.99	1.05
आंध्र प्रदेश	130.22	134.92	136.62	137.75	143.65
अरुणाचल प्रदेश	2.07	2.48	2.57	2.57	2.78
असम	69.11	71.11	75.3	79.65	87.39
बिहार	171.4	181.51	200.66	208.86	219.18
चंडीगढ़	2.54	2.54	2.47	2.37	2.42
छत्तीसगढ	49.82	50.85	54.63	55.74	59.37
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.45	1.46	1.44	1.46	1.49
दिल्ली	41.61	42.16	42.32	42.1	43.78
गोवा	4.25	4.33	4.34	4.39	4.44
गुजरात	97.43	100.14	105.79	108.82	114.22
हरियाणा	63.83	66.21	67.39	67.25	71.65
हिमाचल प्रदेश	17.19	18.06	18.42	17.99	18.95
जम्मू और कश्मीर	30.48	30.5	30.72	30.71	31.22
झारखंड	53.7	55.05	57.44	58.48	61.95
कर्नाटक	148.05	152.94	157.64	161.1	168.09
केरल	82.41	84.56	85.99	86.34	88.18
लद्दाख	0	0.66	0.69	0.7	0.73
लक्षद्वीप	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11
मध्य प्रदेश	143.44	146.66	154.85	157.46	164.38
महाराष्ट्र	251.21	258.87	264.17	267.26	273.31
मणिपुर	5.21	5.63	5.9	6.1	6.5
मेघालय	3.06	3.15	3.35	3.76	4.6
मिजोरम	2.39	2.84	2.91	2.98	3.17
नगालैंड	1.87	2.27	2.51	2.63	3.06
ओडिशा	82.51	84.84	89.7	91.28	93.95
पुडुचेरी	3.55	3.63	3.66	3.66	3.76
पंजाब	79.84	81.9	82.83	82.22	84.09
राजस्थान	153.66	156.87	160.45	163.24	168.88
सिक्किम	1.36	1.48	1.54	1.53	1.67
तमिलनाडु	201.25	205.78	209.45	212.06	219.82
तेलंगाना	102.12	106.07	107.75	108.44	111.89
त्रिपुरा	7.24	7.41	7.48	7.45	7.93
उत्तर प्रदेश	386.1	403.04	427	436.16	450.91
उत्तराखंड	24.01	25.49	26.32	26.58	27.67
पश्चिम बंगाल	213.66	219.7	241.36	255.56	257.69

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

****